न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर

अजमेर न्याय क्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	–	**डॉ. विमल व्यास आरजे.एस**
सी.आई.एस. संख्या	–	**6338/2015**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	**1291/2014**
सीएनआर नं	–	**RJAJ220001852015**
एफ. आई. आर. संख्या	–	**22/2014**
आरक्षी केन्द्र	–	**पीसांगन**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर **.....अभियोगी**

बनाम

निसार अहमद पुत्र गफ्फार खां, निवासी ग्राम बलाड, पुलिस थाना ब्यावर सदर, जिला अजमेर।
.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 498–ए व 406 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–
अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
श्री अर्जुनसिंह राठौड, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:–

अपराध की तिथि	01.03.2014 से पूर्व
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	01.03.2014
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	08.12.2014
आरोप सारांश विरचित किए जाने की तिथि	21.10.2022
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	06.01.2023
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	01.04.2026
निर्णय की तिथि	02.04.2026
दंड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

–:अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1.	निसार अहमद	–	–	498–ए व 406 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त	–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	हबीब अली	गवाह
पीडब्ल्यू–2	मकसूद	गवाह
पीडब्ल्यू–3	रईसा	गवाह
पीडब्ल्यू–4	जमीला	गवाह
पीडब्ल्यू–5	शहनाज	गवाह
पीडब्ल्यू–6	सलीम अली	परिवादी
पीडब्ल्यू–7	मोहम्मद अयूब	गवाह
पीडब्ल्यू–8	जमाल खान	गवाह
पीडब्ल्यू–9	कादिर खान	गवाह
पीडब्ल्यू–10	शाहजहां	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू–11	रामकुंवर	फर्द जब्ती व सुपुर्दगी
पीडब्ल्यू–12	रेखराज	फर्द जब्ती व सुपुर्दगी
पीडब्ल्यू–13	रियाज मोहम्मद	गवाह
पीडब्ल्यू–14	शौकत अली	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू–15	चेनाराम	अनुसंधान अधिकारी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	फर्द जब्ती व सुपुदर्गी सामान	प्रदर्श पी–2
3	पुलिस बयान	प्रदर्श पी–3
4	पुलिस बयान	प्रदर्श पी–4
5	पुलिस बयान	प्रदर्श पी–5
6	पुलिस बयान	प्रदर्श पी–6
7	पुलिस बयान	प्रदर्श पी–7
8	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी–8
9	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–10
18		प्रदर्श पी–17

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
–	–	–

निर्णय **दिनांक: 02.04.2026**

01– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना, पीसांगन की ओर से दिनांक 08.12.2014 को अभियुक्तगण निसार अहमद व मोनिका के विरुद्ध धारा 498–ए, 406, 494 व 109 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 09 दिनांक 06.01.2026 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादिया जमीला बानो ने एक टंकित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पुलिस अधीक्षक अजमेर के समक्ष इस आशय की पेश की कि उसका निकाह गत 6 वर्ष पूर्व निसार अहमद से हुआ था, निकाह से पूर्व उसके परिवारजन ने उसे

कंवारा बताया, उसके परिवार में उसकी पूर्व पत्नी से उसके तीन बच्चे थे, जिस बात को उसे व उसके परिवारजन को बताया कि तीन लड़कियां परवीन बानो, आयशा और रानी थी, विवाह पश्चात वह लोक लाज के कारण व उसके परिवार की हैसियत के अनुसार दहेज दिया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने व उसकी सास शमशु बानो, ससुर गफार खान, ननद मदीना बानो, जेबुल बानो व देवर सलीम ने उसके साथ कम दहेज देने के कारण शादी के बाद मारपीट की, मानसिक यातनाएं दी। वह लोक लाज के कारण इनके जुर्म सहन करती रही, उसे शादी के समय गले की सोने की चैन दो तोला, दो सोने की अगूंठी, एक टीका नथ, कान की झुमकी सोने की एक तोला, दो जोड़ी चांदी की पायजेब दी, जो इन्होने अपने पास रख ली, मांगने पर भी इन्होने वार त्यौहार भी उसे नहीं दी, उसे अपने पीहर से रूपए लाने के लिए कहते, उसने अलग अलग दिनांक को लगभग 2 लाख रूपए इनको ले जाकर दिए उसके कोई औलाद नहीं होने से उससे तानाकशी करते रहे व किसी ओर से विवाह करने की धमकी देते। उसका पति विदेश जाने के नाम पर उसकी माता से 60,000/– रूपए बतौर अमानत प्राप्त किए, जो भी नहीं लौटाए, ये लोग उसे कम दहेज देने के कारण हैरान परेशान करते रहे, गत दो वर्ष पूर्व उससे उसके सारे सोने चांदी के जेवरात व स्त्रीधन ले लिए व मारपीट कर घर से निकाल दिया। वह लोक लाज के डर से अपने पीहर आ गई, उसके माता पिता व उसने हाथाजोडी की पर नहीं माने व अन्यंत्र विवाह करने की धमकी देते रहे। उसका उसके पति से तलाक नहीं हुआ है, इन लोगों ने उसके पति का तीसरा विवाह भी मोनिका पुत्री मनान, निवासी चमड़ाघर, रामनेर रोड़, गर्ल्स स्कूल के सामने, किशनगढ़, अजमेर से उसके परिजनों की मिलीभगत से करवा दिया है। उसके मांगने पर उसका स्त्रीधन भी नहीं लौटाया है....आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी, पुलिस थाना पीसांगन द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 498–ए,406 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त निसार अहमद के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498–ए,406 भारतीय दण्ड संहिता में एवं अभियुक्ता मोनिका के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 494, 109 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498–ए,406, 494 व 109 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– तत्पश्चात दिनांक 21.10.2022 को न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्ता मोनिका को धारा 494 व 109 भारतीय दण्ड संहिता में उन्मोचित किया गया। अभियुक्त निसार अहमद को अपराध अंतर्गत धारा 498ए एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

06– तत्पश्चात् अभियुक्त का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्त ने कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

07– बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्त के धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बन्ध–पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किये गए।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

''**क्या, अभियुक्त ने परिवादिया के पति होते हुए निकाह के बाद से लगातार परिवादिया जमीला बानो से समय–समय पर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करउसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और निकाह के सम दिया गया स्त्रीधन, जो अभियुक्त में न्यस्त किया हुआथा, परिवादिया द्वारा उक्त स्त्रीधन अभियुक्त से मांगने पर देने से इन्कार कर, उक्त स्त्रीधन को बेईमानी से अपने उपयोग व उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यासभंग कारित किया? यदि हां तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है"?**

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त श्री जगदीश चौधरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्त की लिप्तता को प्रकट करे। अन्त में, अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 15 साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिसकी साक्ष्य का विवेचन निम्नप्रकार है:–

साक्षी **पीडब्ल्यू 01 हबीब अली** ने शपथ पर कथन किया है कि उसकी रिश्तेदार भांजी की बेटी जमीला बानो की शादी करीब 15 साल पहले निसार निवासी बलाड के साथ हुई थी। शादी के दो साल बाद उसने व परिवार वालो ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट करके जमीला बानो को घर से निकाल दिया। जब से आज तक जमीला बानो अपने पीहर ही रह रही है। निसार कमाने खाने विदेश आता जाता रहता है। विदेश से आने के बाद भी वो जमीला को वापस लेकर नही गया। फिर वे निसार व उसके माता पिता से मिले तो उन्होने कहा जमीला बांझ औरत है, वे इसको नही रखेगें व निसार की दूसरी शादी करेगें, फिर निसार ने दुसरी शादी कर ली। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह पांचवी तक पढ़ा लिखा है। जमीला की शादी करीब 15 पहले हुई थी। वह ससुराल में दो साल तक रही थी। उसको ससुराल वालो से अलग हुए करीब 13–14 साल हो गये। जमीला ने मुकदमा कब किया था, उसे याद नहीं है। यह सही है कि उसके पुलिस बयान में जमीला के साथ शादी के दो साल बाद दहेज को लेकर मारपीट करके उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, यह बात नहीं लिखी है। उसे उक्त घटना के बारे में जमीला ने ही बताया था। वह जमीला की शादी में शामिल नहीं हुआ था। इसलिये उसे यह नहीं पता कि शादी में क्या

क्या सामान दिया था। यह कहना गलत है कि जमीला उसकी भांजी की बेटी है इसलिये आज वह झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी **पीडब्ल्यू 02 मकसूद** ने शपथ पर कथन किया है कि उसकी भांजी जमीला बानो की शादी करीब 15 साल पहले निसार निवासी बलाड के साथ हुई थी। शादी के दो साल बाद उसने व परिवार वालो ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट करके जमीला बानो को घर से निकाल दिया। जब से आज तक जमीला बानो अपने पीहर ही रह रही है। निसार कमाने खाने विदेश आता जाता रहता है। विदेश से आने के बाद भी वो जमीला को वापस लेकर नही गया। फिर उन्होंने सुना कि निसार ने दुसरी शादी कर ली। फर्द सूपूदर्गी दहेज का सामान प्रदर्श पी 02 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह तीसरी चौथी तक पढ़ा लिखा है। जमीला की शादी करीब 15 पहले हुई थी। वह ससुराल में चार पांच साल तक रही थी। उसको ससुराल वालो से अलग हुए करीब आठ साल हो गये। जमीला ने मुकदमा 2015 में कर दिया था। यह सही है कि उसके पुलिस बयान में जमीला के साथ शादी के दो साल बाद दहेज को लेकर मारपीट करके उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, यह बात नही लिखी है। उसे उक्त घटना के बारे में जमीला ने ही बताया था। वह जमीला की शादी में शामिल नहीं हुआ था। इसलिये उसे यह नही पता कि शादी में क्या क्या सामान दिया था। यह कहना गलत है कि जमीला उसकी भांजी लगती है इसलिये आज वह झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी **पीडब्ल्यू 03 रईसा** ने शपथ पर कथन किया है कि उसकी बेटी जमीला बानो की शादी करीब 15 साल पहले निसार निवासी बलाड के साथ हुई थी। शादी के दो साल बाद उसने व परिवार वालो ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट करके जमीला बानो को घर से निकाल दिया। जब से आज तक जमीला बानो हमारे घर पर ही रह रही है। निसार कमाने खाने विदेश आता जाता रहता है। विदेश से आने के बाद भी वो जमीला को वापस लेकर नही गया। फिर हमारे परिवार के लोग निसार व उसके माता पिता से मिले तो उन्होने कहा जमीला बांझ औरत है, हम इसको नहीं रखेगें व निसार की दूसरी शादी करेगें। फिर निसार ने दूसरी शादी कर ली। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह पढी लिखी नही है। जमीला की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। वह ससुराल में दो साल तक रही थी। उसको ससुराल वालो से अलग हुए करीब 10 साल हो गये। जमीला ने मुकदमा कब किया, उसे आज याद नही है। यह सही है कि उसके पुलिस बयान में जमीला के साथ शादी के दो साल बाद दहेज को लेकर मारपीट करके उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, यह बात नही लिखी है। उसे उक्त घटना के बारे में जमीला ने ही बताया था। उन्होंने जमीला की शादी के समय जो स्त्रीधन धन दिया, उसके बिल व फोटो पुलिस वालो नही दिये, ना ही पत्रावली पर है। यह कहना गलत है कि जमीला उसकी बेटी लगती है इसलिये आज वह झूठे बयान दे रही है।

साक्षी **पीडब्ल्यू 04 जमीला** ने शपथ पर कथन किया है कि उसकी शादी 2007 करीब 15 साल पहले निसार निवासी बलाड के साथ हुई थी। शादी में उसके मां बाप ने दहेज का सामान अपनी हैसियत के हिसाब से दिया था। शादी के दो साल बाद उसका पति निसार

विदेश सउदी अरब कमाने खाने चला गया था व उसके पति निसार विदेश से आते जाते रहते थे। उसके पति को उसकी मम्मी ने ब्याज पर 60 हजार रूपये लेकर दिये थे उसके बाद भी वो और पैसों की मांग करता रहता था। उसके बाद उसका पति विदेश चला गया। उसके पति के विदेश जाने के बाद उसकी सास समसू बानो, ससूर गफार खान ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करके, उसे घर से निकाल दिया। जब से आज तक वह उसके पीहर में ही रह रही है। विदेश से आने के बाद भी उसका पति उसे वापस लेकर नही गया। फिर उनके परिवार के लोग उसके ससुराल वालों से मिले तो उन्होने कहा कि जमीला बांझ औरत है, वह इसको नहीं रखेगें व निसार की दूसरी शादी करेगें, फिर उसके पति निसार ने दूसरी शादी कर ली। रिपोर्ट उसने एसपी को परिवाद देकर की थी। परिवाद प्रदर्श पी–01 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अगुठा निशानी है। फर्द सुपुदर्गी दहेज का सामान प्रदर्श पी–02 है, जिस एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह पढ़ी लिखी नही है। उसकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। वह ससुराल में दो साल तक रही थी। उसे ससुराल वालो से अलग हुए करीब 13 साल हो गये। उसने मुकदमा कब किया, उसे आज याद नही है। यह सही है कि उसके पुलिस बयान में उसके साथ शादी के दो साल बाद दहेज को लेकर मारपीट करके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, यह बात नहीं लिखी है। उसके माता पिता ने शादी के समय जो स्त्रीधन दिया, उसके बिल व फोटो पुलिस वालो नही दिये, ना ही पत्रावली पर है। थाने पर रिपोर्ट थानेदार ने लिखी थी। रिपोर्ट दर्ज कराते समय वह अकेली ही थी, जो स्त्रीधन दिया गया, वह खुद ही काम में लेती थी। यह बात सही है कि उसके पुलिस बयान में यह बात नहीं है कि उसने उसको दो लाख रूपये दिये। यह बात सही है कि उसके पुलिस बयान में उसके पति को 60 हजार रूपये देने की बात नहीं लिखी है। यह सही है कि उसके ससुराल वालों ने घरेलू बातों को लेकर आपसी कहासुनी होती थी। उनके समाज में दहेज लेने की प्रथा है। यह सही है कि उनके समाज में लडके वाले लडकी वालों को नकद राशि व रूपये देते है। यह सही है कि पति व ससुराल वालों से अपनी स्त्रीधन वापस लेने हेतु अधिवक्ता द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया। यह सही है कि उसके परिवार वाले जब उसके ससुराल वालों को समझाने गये तब वह साथ नहीं गई थी। उसने अपना कोई मेडिकल नहीं कराया। यह सही है कि उसके पति व ससुराल वालों ने उसके पीहर आकर कभी दहेज की मांग नहीं की व ना ही कभी प्रताडित किया, जो 60,000/–रूपये दिये, उसमें सभी नोट एक हजार रूपये के थे। यह रूपये उन्होंने अलीपुरा में दिये थे। यह सही है कि अलीपुरा में रूपये देने वाली बात उसकी तहरीरी रिपोर्ट व पुलिस बयान में नहीं है। उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना पीसांगन में नहीं दी थी। यह कहना सही है कि उनके समाज में नाता प्रथा है। यह कहना गलत है कि उसके पिता उसे दूसरी जगह भेजना चाहते थे, इसलिए उसने यह मुकदमा कराया हो। यह कहना गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रही है।

साक्षी **पीडब्ल्यू 05 शहनाज** ने शपथ पर कथन किया है कि उसकी ननद जमीला बानो की शादी करीब 15 साल पहले निसार निवासी बलाड के साथ हुई थी। शादी के दो साल बाद उसने व परिवार वालो ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट करके जमीला बानो को

घर से निकाल दिया। जब से आज तक जमीला बानो हमारे घर पर ही रह रही है। निसार कमाने खाने विदेश आता जाता रहता है। विदेश से आने के बाद भी वो जमीला को वापस लेकर नही गया, फिर हमारे परिवार के लोग निसार व उसके माता पिता से मिले तो उन्होने कहा जमीला बांझ औरत है हम इसको नही रखेगें व निसार की दूसरी शादी करेगें, फिर निसार ने दूसरी शादी कर ली। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह पढ़ी लिखी नही है। जमीला की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी। वह ससुराल में दो साल तक रही थी। उसको ससुराल वालो से अलग हुए करीब 12 साल हो गये। जमीला ने मुकदमा कब किया, उसे आज याद नही है। यह सही है कि उसके पुलिस बयान में जमीला के साथ शादी के दो साल बाद दहेज को लेकर मारपीट करके उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, यह बात नही लिखी है। उसे उक्त घटना के बारे में जमीला ने ही बताया था। हमने जमीला की शादी के समय जो स्त्रीधन दिया, उसके बिल व फोटो पुलिस वालो नही दिये, ना ही पत्रावली पर है। यह कहना गलत है कि जमीला उसकी ननद लगती है, इसलिये आज वह झूठे बयान दे रही है।

साक्षी **पीडब्ल्यू 06 सलीम** ने शपथ पर कथन किया है कि शादी की दिनांक उसे याद नहीं है, निसार व जमीला के आपस में क्या बात हुई, उसे पता नहीं है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि पुलिस में उसके बयान हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी–3 का ए से बी भाग उसने पुलिस को क्या लिखाया, उसे याद नहीं है। वह इन दोनों के निकाह में शामिल नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि मुलजिम को बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि वह निकाह में शामिल नहीं हुआ था, ना ही उसके सामने कोई दहेज की मांग हुई थी।

साक्षी **पीडब्ल्यू 07 मोहम्मद अयूब** ने शपथ पर कथन किया है कि वह बलाड का रहने वाला है। उनके पडौसी निसार की शादी आज से लगभग 15–16 साल पहले अलीपुरा की जमीन बानों के साथ हुई थी। शादी में जमीला के माता पिता ने स्त्रीधन भी दिया था, जिसे लेकर वह हमारे गांव बलाड आ गई थी। एक दो साल वह निसार के साथ रही उसके बाद निसार विदेश चला गया था। जिस पर नाराज होकर जमीला अपने गांव चली गई थी। उसके सामने जमीला से उसके ससुराल वालों ने कोई दहेज की मांग नहीं की थी, ना ही उसे कोई परेशान करता था, वो तो अपनी मर्जी से अपने पीहर चली गई। इसके अलावा उसे किसी तथ्य की जानकारी नहीं है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि निसार ने जब जमीला अपने ससुराल नहीं आई तो किशनगढ निवासी मोनिका से विवाह कर लिया था। यह कहना गलत है कि उसके सामने जमीला को दान दहेज के लिये ससुराल वालों ने परेशान किया हो और उसकी मां व गांव वालों ने उसे समझाया हो। यह कहना गलत है कि निसार यह धमकी देता हो कि तू रूपये लेकर आ, नही तो दूसरा विवाह कर लूंगा। यह कहना गलत है कि मुलजिम उसके गांव का है इसलिये वह उसे बचाने के लिये झूठे बयान दे रहा है। यह कहना सही है कि निसार और वह एक साथ ही नौकरी पर जाते है। यह सही है कि जमीला और उसके परिवार वालों से उसका कोई लेना

देना नहीं है। पुलिस में उसके बयान हुए थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–04 का ए से बी भाग सही लिखा है व सी से डी भाग गलत लिखा है, उसने पुलिस को नहीं बताया। यह सही है कि मुलजिम उसके गांव का उसका पडोसी उसका दोस्त है, लेकिन यह कहना गलत है कि मुलजिम उसके गांव का व उसका दोस्त है, इसलिये वह उसे बचाने के लिये झूठे बयान दे रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि उसके सामने निसार ने व उसके परिवार वालो ने जमीला से दहेज की मांग नहीं की, ना ही उसे परेशान किया, ना ही उसे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किया। यह सही है कि जमीला जब अपने पीहर गई तब अपना स्त्रीधन साथ लेकर चली गई थी।

साक्षी **पीडब्ल्यू 08 जमाल खान** ने शपथ पर कथन किया है कि शादी की दिनांक आज उसे याद नहीं है। निसार व जमीला के आपस में क्या बात हुई, उसे पता नहीं है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि पुलिस में उसके बयान हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का ए से बी भाग उसने पुलिस को क्या लिखाया, उसे याद नहीं है। वह इन दोनों के निकाह में शामिल नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि मुलजिम को बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि वह निकाह में शामिल नहीं हुआ था, ना ही उसके सामने कोई दहेज की मांग हुई थी।

साक्षी **पीडब्ल्यू 09 कादिर खान** ने शपथ पर कथन किया है कि शादी की दिनांक आज उसे याद नहीं है। निसार व जमीला के आपस में क्या बात हुई, उसे पता नहीं है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि पुलिस में उसके बयान हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 का ए से बी भाग उसने पुलिस को क्या लिखाया, उसे याद नहीं है। वह इन दोनों के निकाह में शामिल नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि मुलजिम को बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि वह निकाह में शामिल नहीं हुआ था, ना ही उसके सामने कोई दहेज की मांग हुई थी।

साक्षी **पीडब्ल्यू 10 शाहजहां** ने शपथ पर कथन किया है कि उसके गांव के निसार की शादी आज से लगभग 16–17 साल पहले जमीला बानो निवासी अलीपुरा के साथ हुई थी। जमीला को उसके घर वालो शादी के समय घरेलू आवश्यकता का सारा सामान दिया था, फिर जमीला ससुराल आ गई थी व निसार के साथ 2 साल तक रही थी। उसके बाद वह, निसार विदेश चला गया था, जिस पर जमीला ने कहा था कि यही रहो, इस पर जमीला व निसार में कहा सुनी हो गई और जमीला पीहर चली गई थी। जमीला से निसार व उसके परिवार जन ने किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की थी और ना ही परेशान किया और न ही मारपीट की थी। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना गलत है कि निसार ने जमीला व उसके घर वालों से पैसे मांगे हो और उसकी मां और गांव वाले निसार के गांव हमारे पास यहां आये हो और उसे समझाया हो।

यह कहना गलत है कि निसार ने किशनगढ़ की मोनिका से दूसरी शादी कर ली हो, अज खुद कहा कि उसे इसके बारे कोई जानकारी नही है। यह कहना गलत है कि निसार ने जमीला से कहा हो तुम मुझे रूपयें लाकर दो नहीं तो मैं दूसरी शादी कर लूगा और रूपये नहीं देने पर दूसरी शादी कर ली हो। यह कहना सही है कि मुलजिम उसके गांव का है, उसका जानकार है, उसके समाज का है व उसके मोहल्ले का है। यह कहना सही है कि मुलजिम से उसका अच्छा सम्बन्ध है और उसके घर आना जाना है। पुलिस में उसके बयान हुए थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 है, जिस का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनकर कहा कि सही लिखा है, सी से डी भाग गलत है, उसने पुलिस को नही लिखाया। यह कहना गलत है कि मुलजिम उसके गांव का व मोहल्ले का होने के कारण उसे बचाने के लिए वह आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी **पीडब्ल्यू 11 राम कुंवर** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 08.05.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर कानि के पद पर तैनात था उस रोज मुकदमा नं 22/14 धारा 498–ए, 406 आइपीसी में आरोपी निशार अहमद द्वारा परिवादिया का शादी के समय दिया गया स्त्रीधन पेश किया, जिसकी परिवादिया से पहचान कराकर परिवादिया को हम गवाहन के समक्ष सुपुर्द किया जिसकी फर्द जब्ती व सुपुर्दगी प्रदश पी 2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ रेखराज कानि के हस्ताक्षर है, जिसने फर्द पर उसके सामने हस्ताक्षर किये थे तथा उसी रोज एसएचओ चेनाराम ने उसके और रेखराज गवाहन के समक्ष ही मुलजिम निशार अहमद को जरिये फर्द गिरपतार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–8 है, जिस पर भी ए से बी उसके व सी से डी रेखराज के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ आरोपी मुलजिम निशार अहमद के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि उसे आज ध्यान नही है कि आरोपी सामान किस साधन से लेकर आया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 थाने पर बनाई थी। यह कहना भी सही है कि आरोपी स्वयं थाने पर चलकर आया था। आरोपी की तलाशी किसने ली थी, उसे ध्यान नही है। उसके द्वारा ली गयी हो तो भी उसे ध्यान नही है। आरोपी ने पेंट शर्ट पहन रखी थी, रंग का ध्यान नही है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–2 व प्रदर्श पी–8 की कार्यवाही उसके सामने नहीं की, उसने मात्र फर्दात पर हस्ताक्षर किये हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू 12 रेखराज** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 08.05.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर कानि के पद पर तैनात था। उस रोज समय करीब 6.00 पीएम के आसपास मुकदमा नं 22/14 धारा 498–ए, 406 आईपीसी में आरोपी निसार अहमद ने थाना हाजा पर उसके और रामकुमार गवाहन के समक्ष मुस्तगीसा जमीला बानो की उपस्थिति में मुस्तगीसा का स्त्रीधन पेश किया, जिस पर एसएचओ चेनाराम ने स्त्रीधन जब्त कर मोके पर ही मुस्तगीसा को सूची अनुसार सुपुर्द कर दिया था। फर्द जब्ती व सुपुर्दगी स्त्रीधन प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा जी से एच आरोपी निसार के हसताक्षर है, जिसने उसके सामने हस्ताक्षर किये थे तथा उसी दिन समय करीब 6.30 पीएम पर एसएचओ चेनाराम ने उसके और रामकुमार गवाहन के समक्ष ही मुलजिम निसार अहमद को जरिये फर्द गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–8 है, जिस पर भी सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से

कथन किया कि यह कहना सही है कि गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी स्वंय थाने पर आया था। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के किस परिजन को दी थी, एसएचओ बता सकते है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही है।

साक्षी **पीडब्ल्यू 13 रियाज मोहम्मद** ने शपथ पर कथन किया है कि वह बलाड़ का रहने वाला है। उसके पडौसी निसार की शादी करीब 17–18 साल पहले अलीपुरा की जमीला बानो से हुयी थी। शादी में वह भी शरीक हुआ था। शादी में जमीला के माता पिता ने अपनी हैसियत अनुसार उसे स्त्रीधन भी दिया था। शादी के बाद जमीला अपने ससुराल हमारे पडोस में आ गयी थी और दो वर्ष तक निसार के साथ रही, फिर निसार विदेश चला गया था, जो 2012 में जमीला की मां बीमार होने से जमीला के सास ससुर उसे अलीपुर छोड़ गये थे, फिर 2013 में जब निसार आया तो 7–8 महिने तक वह जमीला को लेने नहीं गया था, जिस पर जमीला के मां व दो तीन व्यक्ति भी समझाने के लिए हमारे गांव आये थे, किन्तु निसार ने कहा की जमीला उससे बिना पूछे गयी है, इसलिए वह उसे लेने नही जाएगा, बस इसी बात का झगडा था। निसार ने जमीला और उसके घरवालो से किसी प्रकार की दहेज की मांग नही की थी ना ही परेशान किया था। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि आरोपी निसार मोहम्मद उसका पड़ौसी है और उसके समाज का है और शादी प्रोग्राम आदि में उनका एक दुसरे के यहां आना जाना रहता है। उसके उससे अच्छे संबंध है। यह कहना सही है कि निसार ने मोनिका जो किशनगढ़ निवासी है, उससे दूसरा विवाह कर लिया है। यह कहना गलत है कि निसार ने जमीला व उसके परिजनो को यह धमकी दी हो कि जमीला के कोई औलाद नहीं है और तुमने दहेज नही दिया इसलिए वह दूसरी शादी कर लेगा अन्यथा वे उसे रूपये व अन्य दहेज दे। उसे इस बात का ज्ञान है कि न्यायालय के सामने झूठ बोलना अपराध होता है। यह कहना सही है कि जमीला को यह कहते हुए कि तु बिना पूछे कैसे गयी, इस बात को लेकर निसार ने परेशान किया था। यह कहना गलत है कि आरोपी उसका पड़ौसी व उसके समाज का होने व उसका दोस्त होने के कारण उसे बचाने के लिए वह आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी **पीडब्ल्यू 14 शौकत अली** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 01.03.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रोज परिवादिया श्रीमती जमीला बानो की टाईपशुदा पुलिस अधीक्षक को दिया गया परिवाद धारा 154 (2) सीआरपीसी जरिये डाक उसे प्राप्त हुआ, जिस पर उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर मजमून रिपोर्ट अनुसार मामला धारा 498–ए, 406 आईपीसी, मुकदमा नं 22/14 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। परिवाद प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ए से बी उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर, सी से डी उसके हस्ताक्षर है, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी–10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान परिवादिया जमीला बानो, गवाहन शहनाज, रईसा बानो, हबीब अली, मकसूद अली, सलीम अली के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। ततपश्चात दिनांक 05.03.2014 को उसका स्थानांतरण हो जाने के कारण पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु पीरूलाल एएसआई को उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सुपुर्द की। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त

साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय अजमेर से परिवाद पत्र आने से पूर्व परिवादिया ने थाने पर कोई तहरीरी रिपोर्ट नहीं दी थी। परिवादिया का परिवाद पत्र एसपी कार्यालय से थाने पर प्राप्त होने पर उसी दिन से उसने अनुसंधान प्रारंभ कर दिया था। सभी गवाहों के बयान उसने अलग–अलग लिये थे। समस्त गवाहो के बयान उसकी कलमी है। यह कहना गलत है कि उसने गवाहो के बयान अपनी मनमर्जी से लिखे हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू 15 चेनाराम** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित हुआ, तब प्रकरण संख्या 22/14 धारा 498–ए, 406 आईपीसी की अनुसंधान पत्रावली तत्कालीन थानाधिकारी का स्थानांतरण होने से अग्रिम अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुयी। उसने दौराने अनुसंधान बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी के तहत गवाहन जमाल खान, जमाल खान पुत्र अहमद खां, कादिर खां, शाहजहां, अयूब खां, नियाज मोहम्मद, व तितम्बा बयान श्रीमती जमीला बानो, रईशा, हबीब, मकसूद के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। दौराने अनुसंधान दिनांक 08.05.2014 को आरोपी निसार अहमद द्वारा परिवादिया का स्त्रीधन पेश किया, जिस पर उसके द्वारा रेखराज व रामकुमार गवाहन के समक्ष उक्त स्त्रीधन जब्त कर परिवादिया जमीला बानो को सुपुर्द किया, फर्द जब्ती व फर्द सुपुर्दगी स्त्रीधन प्रदर्श पी–2 है, जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है तथा उसी रोज आरोपी निसार अहमद को रेखराज व रामकुमार गवाहन के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–8 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसके सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम निसार अहमद पुत्र गफार खां निवासी बलाड़ थाना ब्यावर के विरूद्ध जुर्म धारा 498–ए, 406 आईपीसी व मुलजिमा मोनिका पत्नी निसार अहमद के विरूद्ध धारा 494,109 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उच्च अधिकारियो से चालानी आदेश प्राप्त कर उपरोक्त मुलजिमानो के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ में ही चार्जशीट किताकर चालान न्यायालय में पेश किया, चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में अनुसंधान के दौरान जहां आरोपी रहता है, वहां वह नहीं गया था। यह उसके अनुसंधान में नहीं आया कि परिवादिया ने उक्त मुकदमा दर्ज कराने से पूर्व अपना स्त्रीधन प्राप्त करने के लिए अपने अधिवक्ता से आरोपी को कोई नोटिस दिलाया हो। उसके सामने परिवादिया ने स्त्रीधन का कोई बिल या फोटोग्राफस पेश नहीं किये थे। यह कहना सही है कि जिस दिन की परिवादिया घटना बता रही है उस समय आरोपी निसार विदेश गया हुआ था। यह कहना सही है कि उसके अनुसंधान में यह बात आयी थी कि परिवादिया व उसके सास ससुर के बीच में घरेलू बातो को लेकर लडाई होता था। यह कहना सही है इस प्रकरण में सास ससुर को आरोपी नहीं बनाया है। यह कहना सही है प्रदर्श पी–8 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिवार में किस व्यक्ति को दी इसका इन्द्राज प्रदर्श पी–8 पर नहीं है। गवाहों के बयान उसने अलग–अलग लिये थे। उसने परिवादिया का कोई मेडिकल नहीं कराया था क्योंकि परिवादिया ने मेडिकल करवाने से मना कर दिया था। यह कहना गलत है कि

गवाहों के बयान उसने मनमर्जी से लिखे हो। यह कहना भी गलत है कि उसने समस्त फर्दे थाने पर बैठकर बनायी हों। यह कहना गलत है कि आरोपीगण के विरूद्ध गलत अनुसंधान कर उन्हें झूठा फंसाया हो। यह कहना गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा है।

12– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादिया जमीला द्वारा दिनांक 26.02.2014 को एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पुलिस अधीक्षक अजमेर के समक्ष पेश करने पर हुआ, जिसके माध्यम से परिवादिया जमीला ने मुख्य रूप से कथन किया कि उसका विवाह निसार अहमद के साथ गत 6 वर्ष पूर्व हुआ था और उसके परिवारजन ने उसे कुंवारा बताया, उसके परिवार में उसकी पूर्व पत्नी से उसके तीन बच्चे थे, जिसकी जानकारी परिवादिया को बाद में हुई। विवाह में उसके परिवारजन से अपनी हैसियत अनुसार दहेज दिया। विवाह के पश्चात अलग–अलग दिनांकों को अभियुक्त को परिवादिया ने दो लाख रूपये दिये। परिवादिया के कोई औलाद नहीं होने पर उसको तानाकशी करता और किसी ओर से विवाह की धमकी देता। उसके पति ने विदेश जाने के नाम से उसकी माता से 60,000/–रूपये बतौर अमानत प्राप्त किये, जो नहीं लौटाए। परिवादिया द्वारा अपना स्त्रीधन मांगने पर उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और वह अपने पीहर में रह रही है। उसका उसके पति से तलाक नहीं होने के बावजूद भी उसके पति ने तीसरा विवाह मोनिका से कर लिया है। जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह परिवादिया जमीला है, जो पीडब्ल्यू–4 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुयी। परिवादिया जमीला पीडब्लयू–4 ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं की शादी 2007 में करीब 15 साल पहले निसार के साथ होना, उसके माँ बाप द्वारा दहेज का सामान दिया जाना और उसके शादी के दो साल उसके पति निसार का सउदी अरब कमाने खाने चले जाना, उसके पति का विदेश से आते जाते रहना, उसके पति को उसकी माँ द्वारा साठ हजार रूपये दिया जाना और उसके बाद उसके पति का विदेश चला जाना, उसके पति के विदेश चले जाने के पश्चात उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिए जाने पर उसका पीहर में निवास करना, विदेश से आने के बाद उसके पति द्वारा उसे वापस लेकर नहीं जाना, निसार की दूसरी शादी हो जाना बताया तथा अपने कथनों के समर्थन में दो दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये, जिसमें से परिवाद प्रदर्श पी–1 व फर्द सुपुर्दगी दहेज का सामान प्रदर्श पी–2 है, लेकिन परिवादिया ने अधिवक्ता अभियुक्त के प्रतिपरीक्षण में उसने मुकदमा कब किया, उसे याद नहीं होना, उसके द्वारा मेडिकल नहीं करवाया जाना स्वीकार किया है। जिससे प्रकट होता है कि परिवादिया द्वारा उसके पति निसार अहमद के विदेश जाने के पश्चात यह रिपोर्ट लिखवाई गई है और अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की गई हो, ऐसी कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त परिवादिया ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा धनराशि की मांग करने के अतिरिक्त कोई कथन नहीं किये, साथ ही किस दिनांक, किस वर्ष को अभियुक्त ने धनराशि की मांग की, इस बाबत कोई कथन ही नहीं किया। इस प्रकार प्रकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह जमीला पीडब्ल्यू–4 की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, जिससे अभियोजन की कहानी दुर्बल हो जाती है।

13– आगे अन्य गवाह पीडब्ल्यू–1 हबीब अली, पीडब्ल्यू–2 मकसूद, पीडब्लयू–3 रईसा व पीडब्लयू–5 शहनाज, जो कि परिवादिया के परिवार के सदस्य है और उनके द्वारा स्पष्ट रूप से अधिवक्ता अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उन्हें घटना के बारे में जमीला ने बताया था, ऐसे में यह प्रकट होता है कि उक्त समस्त साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी है, जो कि परिवादिया जमीला द्वारा बताई गई घटना के बारे में ही साक्ष्य देते है। ऐसे में उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। अन्य गवाह पीडब्लयू–6 सलीम अली, पीडब्लयू–7 मोहम्मद अयूब, पीडब्ल्यू–8 जमाल खान, पीडब्लयू–9 कादिर खान, पीडब्लयू–10 शाहजहां व पीडब्लयू–13 रियाज मोहम्म्द अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन की कहानी का लैशमात्र भी समर्थन नहीं करते है। प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू–11 रामकुंवर व पीडब्ल्यू–12 रेखराज द्वारा फर्द जब्ती व सुपुर्दगी स्त्रीधन प्रदर्श पी–2 व फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्रदर्श पी–8 पर अपने हस्ताक्षर होने बाबत औपचारिक साक्ष्य दी गई है।

14– आगे प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी शौकत अली पीडब्ल्यू–14 व चेनाराम पीडब्लयू–15 ने स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान बाबत विस्तृत सकारात्मक साक्ष्य अपने मुख्य परीक्षण में दी है। प्रतिपरीक्षण में चेनाराम पीडब्ल्यू–15 ने स्वीकार किया कि जिस दिन की परिवादिया घटना बता रही है, उस समय आरोपी निसार विदेश गया हुआ था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसके अनुसंधान में यह बात आयी थी कि परिवादिया व उसके सास–ससुर के बीच में घरेलू बातों को लेकर लडाई होती थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–8 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी को साबित करने के लिए जिन गवाहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जमीला पीडब्ल्यू–1 के अतिरिक्त अन्य गवाह पीडब्ल्यू–1 हबीब अली, पीडब्ल्यू–2 मकसूद, पीडब्लयू–3 रईसा व पीडब्लयू–5 शहनाज अनुश्रुत साक्षी होने से अभियोजन कहानी की सहायता नहीं करते है। अन्य गवाह पक्षद्रोही होने से अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करते है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी के समर्थन में जिन मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को पेश किया है, उनके सूक्ष्म अवलोकन से अभियोजन की कहानी संदेह के बादलों से आच्छादित हो जाती है।

15– सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा कि अभियुक्त ने परिवादिया के पति होते हुए निकाह के बाद से लगातार परिवादिया जमीला बानो से समय–समय पर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और निकाह के सम दिया गया स्त्रीधन, जो अभियुक्त में न्यस्त किया हुआथा, परिवादिया द्वारा उक्त स्त्रीधन अभियुक्त से मांगने पर देने से इन्कार कर, उक्त स्त्रीधन को बेईमानी से अपने उपयोग व उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यासभंग कारित किया। फलतः अभियुक्त निसार अहमद पुत्र गफ्फार खां, निवासी ग्राम बलाड, पुलिस थाना ब्यावर सदर, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 498–ए व

406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

16– परिणामतः अभियुक्त निसार अहमद पुत्र गफ्फार खां, निवासी ग्राम बलाड, पुलिस थाना ब्यावर सदर, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 498–ए व 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया जाता है। अभियुक्त के हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझे जावें। प्रकरण में जब्तशुदा मालखाना(मुताबिक फर्द जब्ती) यदि कोई हो तो नियमानुसार निस्तारित किया जावें एवं यदि जब्तशुदा मालखाना सुपुर्दगीनामे एवं जमानतनामे पर सुपुर्द किया गया हो तो उसका सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझा जावें।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र

17– निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र